राजस्थान सरकार

राजस्थान मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

राजस्थान जयपुर

क्रमांक RMSC/Vol.II/2011/216 दिनांक 27/08/2011

कार्यालय आदेश

"मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना" से सम्बन्धित शिकायतों का समय पर निस्तारण कर योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक मोनिटरिंग सेल का गठन किया जाता है, जिसके नोडल ऑफिसर डॉ एम0एस0 कृष्णियां, सलाहकार (फील्ड मोनिटरिंग) होगें।

चिकित्सालयो में दवा की कमी, चिकित्सक द्वारा जेनेरिक नाम से दवा न लिखना, दवा उपलब्ध न होना, दवा वितरण केन्द्र पर निःशुल्क दवा की कीमत मांगना आदि की शिकायत निम्न जगह की जा सकती है :-

राज्य स्तर पर :-

1. लेण्ड लाईन टेलीफोन पर :- 0141 – 2225624, 2225000 (निदेशालय कन्ट्रोल रूम)
2. मोबाईल पर :- 9166005500 (मोबाइल कन्ट्रोल रूम)
3. ईमेल द्वारा :- rmsc@nic.in
4. फैक्स द्वारा :- 0141 – 2225827
5. पत्र द्वारा :- एमडी, राजस्थान मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

जिला स्तर पर :-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सम्बन्धित चिकित्सालय।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सम्बन्धित जिला।
3. जिला कलेक्ट्रेट हेल्पलाईन नम्बर पर।

साथ ही प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रत्रांक 165 दिनांक 03.08.2011 के द्वारा जोनल प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये है, यह योजना की फिल्ड मोनिटरिंग कर जोन के सभी चिकित्सा संस्थाओं पर दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सको द्वारा जेनेरिक दवा लिखना, दवाईयों का दुर्रूपयोग रोकना आदि सुनिश्चित करवायेगें। फील्ड मोनिटरिंग सेल के प्रभारी डॉ एम.एस. कृष्णिया होगें ।

एमडी
राजस्थान मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन
एवं विशिष्ठ शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मिशन निदेशक, एनआरएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक जन स्वास्थ्य/आरसीएच/एडस/आइईसी, निदेशालय, जयपुर।
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला परियोजना कॉर्डिनेटर, राजस्थान।
6. सर्वर रूम।
7. कार्यालय प्रति।

एमडी
राजस्थान मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन
एवं विशिष्ठ शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान, जयपुर।